

पत्रांक-श्रम क० सं०-38/2026-782
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024, के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर के ज्ञापक (कॉलम 4 में वर्णित) 08 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रू० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रू० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मो०न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःश्वसता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० पिकी देवी, 37, सिकन्दर साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सिकन्दर साह (पति)	576 18.04.2026	ग्राम+पो०-बिहपुर, धाना+प्र०-बिहपुर, जिला-भागलपुर 8677869328	5018670 7377	INDIAN BANK IDIB000 T549	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० बबलु मंडल, 44, दशरथ मंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बादनी देवी (पत्नी)	581 18.04.2026	ग्राम-दीनदयाल, पो०-कोदण्डा, प०-दीनदयाल, वार्ड-01, धाना+प्र०-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर 7632901612	4286020 1001247 7	UNION BANK UBIN05 42865	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
3	स्व० मा० अरसद खान, 28, मा० जाफर खान, सामान्य वर्ग	बादनी बेगम (पत्नी)	582 18.04.2026	ग्राम-कसवा खेरही, पो०-शाहकुण्ड, प०-कसवा खेरही, वार्ड-05, धाना+प्र०-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर 9263943125	3628622 4789	SBI SBIN000 3434	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दजीगरी का कार्य
4	स्व० सजीव कुमार चौधरी, 56, कैलाश प्रसाद चौधरी, सामान्य वर्ग	रूबी देवी (पत्नी)	583 18.04.2026	ग्राम+पो०-झण्डापुर, धाना-झण्डापुर, प्र०-बिहपुर, जिला-भागलपुर 9534997030	3454028 3081	SBI SBIN000 5769	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
5	स्व० अरुण कुमार, 62, जदुनादन कुमार, सामान्य वर्ग	रेणु देवी (पत्नी)	585 18.04.2026	ग्राम+पो०+धाना-झण्डापुर, प्र०-बिहपुर, जिला-भागलपुर 7546096657	4458810 0017463	BOB BARBON AUGAC	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
6	स्व० गौरी सिंह, 37, नारायण सिंह, पिछड़ा वर्ग	रविता देवी (पत्नी)	586 18.04.2026	ग्राम-पकरा दोनिया, पो०+प्र०-पकरा, धाना+प्र०-नवगछिया, जिला-भागलपुर 7856045706	2335321 1075462	UCO BANK UCBA00 02335	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
7	स्व० मा० जाकिर, 24, मा० इलयास, सामान्य वर्ग	मा० इलयास (पिता)	596 18.04.2026	ग्राम+पो०-झण्डापुर, प्र०+धाना-झण्डापुर, प्र०-बिहपुर, जिला-भागलपुर 7494032190	6055875 6850	BOM MAHB0 001599	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

8	स्व० लड्डू यादव, 22, जयंती यादव, पिछड़ा बर्ग	पार्वती देवी (पत्नी)	597 18.04.2026	ग्राम-नारायणपुर, वार्ड-04, पो0-नारायणपुर, धाना-भवानीपुर, प्र0-नारायणपुर जिला-भागलपुर, 8401894766	3620011 0028006	DBGB PUNB0 MBGB0 6	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामाधिक मूल्य, कृषक मजदूर
---	---	-------------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------

कुल :-रु 4,00,000/-
(चार लाख रुपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-38/2026-722

पटना, दिनांक :- 11.06.2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

11/06/2026

Signed by Rohit Kumar

Date: 11-06-2026 15:31:40

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक